

# सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-३ / १.अधेकर भवन राजगड़ल पैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांक एफ ११(१२)(१३)(१४)ओवीसी / सान्यात्वि/१२/ ६९५३५

जयपुर

दिनांक १६/०९/२०१३

## अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्म की सूची में जोड़े गए विभिन्न जाति/वर्गों के नामों के अनुक्रम में मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या २२१/२०१३ दिनांक १७ सितम्बर, २०१३ की अनुपालन में राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में तुरन्त प्रभाव से निम्न पिछड़ी जाति/वर्गों के नाम जोड़े जाते हैं :—

क्र.सं.	जाति/वर्ग जिसे समिलित किया गया है।	राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग की जारी सूची की क्रम संख्या एवं पृथक क्रमांक जिस पर इस जाति/वर्ग को जोड़ा गया है।
1	गुरु, गर्ग ब्राह्मण	सूची में पृथक क्रमांक ०७ पर 'गुरु, गर्ग ब्राह्मण'
2	डार (डारान)	सूची में क्रमांक ६८ पर कुंजड़ा, राइन के आगे 'डार (डारान)'
3	दसनाम गोस्त्वामी	सूची में क्रमांक १९ पर गिरो, गोसाई (गुशाई) के आगे 'दसनाम गोस्त्वामी'
4	पुजारी सेवक	सूची में पृथक क्रमांक ८८ पर 'पुजारी सेवक'
5	शोरगर	सूची में पृथक क्रमांक ८९ पर 'शोरगर'
6	मन्सूरी	सूची में क्रमांक २७ पर कन्डेरा, पिंजारा के आगे 'मन्सूरी'
7	बढ़ई	सूची (अंग्रेजी) में क्रमांक ६ पर BADAI शब्द में D के आगे H जोड़कर सही अंग्रेजी प्रतिलिप 'BADHAI'
8	खरादी	सूची में क्रमांक ६ पर बढ़ई, जांगिड़, खाती, सुथार, तरखान के आगे 'खरादी'
9	नागर बंधारा	सूची में क्रमांक ८ पर छीपा (छीपी), भावसार, नामा, खटटी छीपा, रंगरेज, नीलगर वे आगे 'नागर बंधारा'
10	पूर्विया (धनगर, गाड़री)	सूची में क्रमांक १९ पर गड़रिया (गाड़री), गायरी, घोसी (घाला) के आगे 'पूर्विया (धनगर, गाड़री)'
11	हमाल	सूची में क्रमांक ७६ पर गोती के आगे 'हमाल'
12	सिपाही (मुस्लिम)	सूची में क्रमांक ७१ पर सिन्धी मुसलमान के आगे 'सिपाही (मुस्लिम)'
13	नागोरी (मुस्लिम)	सूची में क्रमांक २१ पर गाड़ीत नागोरी के आगे 'नागोरी (मुस्लिम)'

आज्ञा से—

१५/१  
(अधिकारी शमा) ४/१३  
राजन राधिव

क्रमांक एफ 11(125)(12)(13)(14)ओवीसी / सान्याअति / 12/ ६३५३६ -८४८

जयपुर दिनांक 13/1/2015

प्रतिलिपि निमाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राज. जयपुर।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राज सरकार।
4. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
5. प्रमुख राजिव, मानवीय मुख्यमंत्री महोदय, राजरथान।
6. संयुक्त राजिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान हाईकोर्ट, जौधपुर/जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर।
11. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
12. निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान।
13. समस्त विभागाध्यक्ष।
14. समस्त जिला कलक्टर।
15. समस्त पुलिस अधीक्षक।
16. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
17. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं संसाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
18. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में प्रकाशन हेतु।
19. एग्जिस्ट वर्ग प्रोग्राम, मुख्यावास को विर्गागीय बेवसाइड पर अपलोड करने एवं उपरोक्त समस्त द्वारा ई-मेल करने वालत।
20. गार्ड फाइल।

राजस्थान सचिव  
18/1/13